19/2/26

पत्रावली पेश हुई। दावा वादी [illegible] [illegible]
है। [illegible] निर्णय [illegible] [illegible] [illegible] शामिल
पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश [illegible]
गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

मुस० सुआबाई पुत्री मूला पत्नी हुकमसिंह माली आयु 65 साल जाति माली निवासी होली खिडकिया बाहर जयसिंहपुरा करौली हाल निवासी अगोला करौली तहसील व जिला करौली राज०

—वादीया

बनाम

1. हरिचरण पुत्र मूला आयु 70 साल जाति माली नि० होली खिडकियां जयसिंहपुरा करौली
2. बृजबाई पुत्री मूला पत्नी हटीला आयु 72 साल
3. हल्की पुत्री मूला पत्नी गोपी आयु 60 साल
   (2–3) जाति माली निवासी होली खिडकियां बाहर करौली हाल निवासी ग्राम पातरी तहसील व जिला करौली
4. गीता बेवा धन्नू आयु 52 साल
5. संतोष आयु 22 साल
6. बलराम आयु 20 साल
   (5–6) पुत्रान धन्नू
   (4–6) जातियान माली निवासीयान होली खिडकियां बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज०
7. मन्जू पुत्री धन्नी पत्नी मुनेश आयु 30 साल जाति माली निवासी करौली हाल निवासी बाजीदपुर तहसील व जिला करौली राज०
8. अन्जू पुत्री धन्नू पत्नी रोकाश आयु 25 साल जाति माली निवासी करौली हाल निवासी बाजीदपुर तहसील व जिला करौली राज०
9. महेन्द्र आयु 24 साल
10. कान्हा आयु 23 साल
    (9–10) पुत्रान स्व० रामस्वरूप माली माली निवासी होली खिडकियां बाहर करौली
11. रामो बेवा रामस्वरूप आयु 55 साल जाति माली निवासी होली खिडकियां बाहर जयसिंहपुराा करौली तहसील व जिला करौली राज०
12. दुलारी पुत्री रामस्वरूप पत्नी समय आयु 30 साल
13. मिथलेश पुत्री रामस्वरूप पत्नी बनेसिंह आयु 25 साल
14. गुडिया पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्मसिंह आयु 20 साल
    (12–14) जाति माली निवासी हाल आमली वालाताल करौली तहसील व जिला करौली राज०
15. दिलीपसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली
16. रूप गुर्जर पुत्र परसादी गुर्जर निवासी ग्राम गोपालपुर तहसील व जिला करौली राज०
17. गजराज पुत्र रघुवर जाति माली निवासी एस०पी०एजेन्सी ट्रक यूनियन करौली
18. मुकेश आयु साल पुत्र घनश्याम निवासी गोपालपुर तहसील करौली
19. राजपाल आयु साल पुत्र रामसिंह माली निवासी गोपालपुर तहसील करौली
20. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज०

—प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 188 आर टी एक्ट
मु.नं. 28/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री विष्णु चंद बंसल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री रामनिवास पाराशर, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...19/2/26........को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:—28 / 22 तारीख रजु:—19.07.2022

उनवान

मुस0 सुआवाई पुत्री मूला पत्नी हुकमसिंह माली आयु 65 साल जाति माली निवासी होली खिडकियां बाहर जयसिंहपुरा करौली हाल निवासी अगोला करौली तहसील व जिला करौली राज0

——वादीया

बनाम

1. हरिचरण पुत्र मूला आयु 70 साल जाति माली नि0 होली खिडकियां जयसिंहपुरा करौली
2. बृजबाई पुत्री मूला पत्नी हटीला आयु 72 साल
3. हल्की पुत्री मूला पत्नी गोपी आयु 60 साल

   (2–3) जाति माली निवासी होली खिडकियां बाहर करौली हाल निवासी ग्राम पातरी तहसील व जिला करौली
4. गीता बेवा धन्नू आयु 52 साल
5. संतोष आयु 22 साल
6. बलराम आयु 20 साल

   (5–6) पूत्रान धन्नू

   (4–6) जातियान माली निवासीयान होली खिडकियां बाहर करौली तहसील व जिला करौली राज0
7. मन्जू पुत्री धन्नी पत्नी मुनेश आयु 30 साल जाति माली निवासी करौली हाल निवासी वाजीदपुर तहसील व जिला करौली राज0
8. अन्जू पुत्री धन्नू पत्नी रोकाश आयु 25 साल जाति माली निवासी करौली हाल निवासी बाजीदपुर तहसील व जिला करौली राज0
9. महेन्द्र आयु 24 साल
10. कान्हा आयु 23 साल

    (9–10) पुत्रान स्व0 रामस्वरूप माली माली निवासी होली खिडकियां बाहर करौली
11. रामो बेवा रामस्वरूप आयु 55 साल जाति माली निवासी होली खिडकियां बाहर जयसिंहपुराा करौली तहसील व जिला करौली राज0
12. दुलारी पुत्री रामस्वरूप पत्नी समय आयु 30 साल
13. मिथलेश पुत्री रामस्वरूप पत्नी बनेसिंह आयु 25 साल
14. गुडिया पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्मसिंह आयु 20 साल

    (12–14) जाति माली निवासी हाल आमली वालाताल करौली तहसील व जिला करौली राज0
15. दिलीपसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली
16. रूप गुर्जर पुत्र परसादी गुर्जर निवासी ग्राम गोपालपुर तहसील व जिला करौली राज0
17. गजराज पुत्र रघुवर जाति माली निवासी एस0पी0एजेन्सी ट्रक यूनियन करौली
18. मुकेश आयु साल पुत्र घनश्याम निवासी गोपालपुर तहसील करौली
19. राजपाल आयु साल पुत्र रामसिंह माली निवासी गोपालपुर तहसील करौली
20. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक :— 19/02/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 5537 रकवा 2 बीधा 2 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नं0 9

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

तहसील व जिला करौली राज0 में स्थित है जो वादीया व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 3/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 4 ता 8 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 9 ता 14 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 9 ता 14 के पिता व पति रामस्वरूप पुत्र मूला का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी नं0 9 ता 14 है वादीया व प्रतिवादी नं0 1 ता 14 आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार हे। सबूतन नकल जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 बाद पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। सजरा वादपत्र के मद नंबर 2 में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 14 के मध्य आज दिवस तक विधिवत बंटवारा किसी प्रकार से नही हुआ हे वादीया व प्रतिवादी नं0 1 ता 14 संयुक्त रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है वादीया ने दिनांक 8/6/2022 को प्रतिवादी नं0 1 ता 14 से वादीया के 1/6 हिस्सा का बंटवारा मीटस एण्ड बाउण्डस राजस्व रिकार्ड में एवं मौके पर कराने की कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ता 14 साफ इन्कार हो गये और आराजी को प्रतिवादी नं0 15 ता 19 व दीगर व्यक्तियों को बिना बंटवारा कराये व बिना रूपान्तरण कराये भूखण्ड विक्रय कर कर निर्माण करने कराने एवं व वादीया के 1/6 हिस्सा संयुक्त के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने एवं वादीया को फसल लाभ नही लेने देने की ऐलानियां कहा एवं धमकी दी है। वादीया ने प्रतिवादी नं0 1 ता 14 से बिना बंटवारा कराये भूमि को रहन, वय नहीं करने निर्माण नही करने की कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ता 14 वादीया से झगडा करने पर आमादा हो गये इसलिए वादीया को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है। वादग्रस्त आराजी वादीया व प्रतिवादी नं0 1 ता 14 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 1ता3 का 3/6 हिस्सा है, प्रतिवादी नं0 4 ता 8 का 1/6 हिस्सा है प्रतिवादी नं0 9 [illegible] का 1/6 हिस्सा है वादीया का अब वादग्रस्त आराजी का संयुक्त [illegible] करना संभव नही है संयुक्त काश्त में व्यव[illegible] है इसलिए वादीया अपने 1/6 हिस्से का प्रतिवादी नं0 1 /14 [illegible]टस एण्ड बाण्उडस बंटवारा कराने एवं अपने हक में 1/6 हिस्से के अलग से खातेदारी इन्द्राज व लगान सेपरेट कराने की एवं बंटवारा भूमि पर वाहिद कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण ताकतवर झगडालू किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

के व्यक्ति है और भूमि को बिना बंटवारा कराये व बिना रूपान्तरण कराये दीगर व्यक्तियों को व प्रतिवादी नं0 15 व 19 को भूखण्ड विक्रय करने पर आमादा है और निर्माण करने व कराने पर आमादा है और वादीया के 1/6 हिस्सा संयुक्त निर्माण करने व कराने पर आमादा है और वादीया के 1/6 हिस्सा संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान करने पर उतारू हो रहे है प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीया पर भारी आघात है यदि प्रतिवादीगण ने वादीया को 1/6 हिस्सा को संयुक्त काश्त का फसल लाभ नही लेने दिया तो वादीया को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा होगी वादीया के भूखा मरने की नौबत आजावेगी इसलिए वादीया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 8/6/2022 को वादीया द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 14 से वादीया के 1/6 हिस्से का मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 ता 14 द्वारा भूमि को बिना विनाय बिना रूपान्तरण कराये भूखण्ड प्रतिवादी नं0 15 व 19 व दीगर व्यक्तिों को विक्रय कर भूमि में निर्माण करने कराने की ऐलानिया कहने पर वादीया के मना करने पर नही मानने पर अन्दर हदूद अदालत पैदा हुयी से अतः दावा अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 9.1.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर सरकार पैरोकार को बंटवारा स्कीम हेतु सरकार परौकार को लिखे जाने पर सरकार पैरोकार तहसीलदार (भू.अभि.) करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि कस्बा करौली के खसरा [illegible] में मौके पर आबादी मकानात बने होने व [illegible] कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादीया व सरकार पैरोकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बहस वकील वादीगण द्वारा कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 5537 कस्बा करौली का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड हिस्सानुसार प्रतिवादी नंबर 1 ता 14 कराया जावे। अंत दावा वादी ड्रिकी किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार कस्बा करौली के खसरा नंबर 5537 में मौके पर आबादी मकानात बने होने व घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरा नंबरान को कृषि से अकृषि बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के प्लांटिग के रूप में उपयोग–उपभोग में लिया जाना सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट से साबित है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/02/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:12:59 IST
Reason: SelfAttested